



खान मंत्रालय ने खनिज पदार्थ नियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज पदार्थ नियम 2017 के मसौदे के बारे में सुझाव आमंत्रित किए

Posted On: 01 SEP 2017 6:31PM by PIB Delhi

खान मंत्रालय ने खनिज पदार्थ नियम, 2015 में संशोधन के लिए खनिज पदार्थ (नीलामी) संशोधन नियम 2017 का मसौदा तैयार किया है।

पूर्व वैधानिक सलाहकार नीति के अंतर्गत, संशोधन नियमों के मसौदे में प्रस्तावित संशोधन मसौदे नियमों के प्रावधानों की जानकारी दी गई है जो मंत्रालय की वेबसाइट www.mines.gov.in और नीचे दिए हुए पते पर उपलब्ध है। आम जनता, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों, खान उद्योग, साझेदारों, उद्योगों, एसोसिएशनों और अन्य व्यक्तियों तथा सम्बद्ध कंपनियों से संशोधन नियमों के मसौदे के बारे में टिप्पणियां/सुझाव आमंत्रित किए हैं। टिप्पणियां/सुझाव प्राप्त करने की आखिरी तारीख 30 सितम्बर, 2017 है।

टिप्पणियां/सुझाव एमएस ऑफिस वर्ड में ई-मेल द्वारा निम्नलिखित आईडी पर भेजे जा सकते हैं:-

pv.kumar70@nic.in

ई-मेल का विषय होना चाहिए “ खनिज पदार्थ (नीलामी) (संशोधन) नियमों, 2017 के बारे में टिप्पणियां/सुझाव”

वैकल्पिक तौर पर टिप्पणियां/सुझाव डाक से निम्नलिखित पते पर भेजे जा सकते हैं:

वीना कुमारी डरमल, निदेशक

खान मंत्रालय

कमरा नम्बर 308, डी विंग

शास्त्री भवन

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड

नई दिल्ली 110001

लिफाफे पर लिखा होना चाहिए “ खनिज पदार्थ (नीलामी) (संशोधन) नियमों, 2017 के बारे में टिप्पणियां /सुझाव”

[भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली, विशेष, भाग II, अनुच्छेद 3, उप-अनुच्छेद (i)]

भारत सरकार

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, (तारीख), 2017

3. प्रमुख नियमों में, नियम 3 के लिए निम्नलिखित जीएसआर (ई)- खान और खनिज पदार्थ के अनुच्छेद 13 (विकास और नियमन) कानून, 1957 (1957 के 67) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केन्द्र सरकार ने खनिज पदार्थ (नीलामी) नियमों, 2015 में संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाए:-

1. (1) इन नियमों को खनिज पदार्थ (नीलामी) (संशोधन) नियम, 2017 कहा जा सकता है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख पर लागू हों

2. खनिज पदार्थ (नीलामी) नियम, 2015 (आगे चलकर प्रमुख नियमों से संबंधित होगा), नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (एम), उप-खंड (ii) के बाद निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया जाए:-

“बशर्ते कि यदि किसी खनिज पदार्थ और /अथवा खनिज पदार्थ ग्रेड के लिए किसी महीने का किसी राज्य का औसत बिक्री मूल्य भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है, ऐसे खनिज पदार्थ और / अथवा खनिज पदार्थ ग्रेड के लिए भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित अखिल भारतीय औसत बिक्री मूल्य का इस्तेमाल किया जाए ”

प्रमुख नियमों में, नियम 3 के लिए, निम्नलिखित को स्थानापन्न किया जा सकता है-

“3. आवेदन- ये नियम (i) अनुच्छेद 3 के खंड (ई) में निर्दिष्ट छोटे खनिज पदार्थों के रूप में अधिसूचित खनिज पदार्थों ; (ii) अधिनियम की पहली अधिसूची के भाग क में निर्दिष्ट खनिज पदार्थों ; और (iii) अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ख में निर्दिष्ट खनिज पदार्थों जिनका ग्रेड आणविक खनिज पदार्थ रियायत नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित दहलीज मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक है, को छोड़कर सभी खनिज पदार्थों पर लागू होगा”।

4. प्रमुख नियमों में नियम 6 में, उप-नियम (4) में, खंड (ii) में निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया जाए:-

“बशर्ते कि तारीख पर अथवा उसके बाद (संशोधन शुरू होने की तारीख), पिछले पांच वर्षों में निकाले गए खनिज पदार्थों के मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर की मात्रा को वर्तमान वर्ष में बेचा जा सकता है”

5. प्रमुख नियमों में नियम 9 में, उप-नियम (4) में, खंड (क) -

(i) उपखंड (iv), से दूसरी शर्तों में, “तीसरे और उसके बाद ” के शब्दों के लिए, “दूसरा ” शब्द का इस्तेमाल “बोली की प्रक्रिया” शब्दों के बाद और बदले में किया जाए, “जैसा कि टेंडर आमंत्रित करने के नोटिस में दिया गया है नीलामी के पहले प्रयास की तरह उन्हीं नियम और शर्तों पर होगा ” शब्दों को शामिल किया जाए और

(ii) उपखंड (iv), से चौथी प्रमुख शर्तों में नियम 9 में, में, “पचास प्रतिशत के लिए” शब्दों के लिए, जमा तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ता, जिनकी आरंभिक मूल्य की पेशकाश ऐसे ही मिलते जुलते आरंभिक मूल्य पेशकश से कम है”, “पचास प्रतिशत से अधिक से बराबरी तक” शब्द का इस्तेमाल बदले में किया जाए।

6. प्रमुख नियमों में नियम 10 में,

(i) उपनियम (6) के बाद निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया गया है:-

“बशर्ते कि आशय पत्र की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के समाप्त होने पर खनन पट्टा विलेख नहीं किया गया हो और आशय पत्र नीलामी की समूची प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए अमान्य किया गया हो और राज्य सरकार ताजा नीलामी प्रक्रिया के जरिए खनिज पदार्थ ब्लॉक दे सकती है”

बशर्ते राज्य सरकार खनन पट्टा विलेख को अमल में लाने के लिए दो वर्ष की अवधि इजाजत दे यदि प्राथमिकता वाले बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता अथवा जैसा भी मामला हो, ने या तो वन (संरक्षण) कानून, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत जरूरी मंजूरी के चरण-1 अथवा पर्यावरण (संरक्षण) कानून 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत समय-समय पर जारी संशोधनों के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत जरूरी पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली हो।”

7. प्रमुख नियमों में, जहां कहीं भी “खनिल पदार्थ रियायत नियम, 1960” शब्द आता हो उसके स्थान पर “खनिज पदार्थ (आणविक हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिज पदार्थों के अलावा) रियायत नियम, 2016 शब्द लिया जाए।

8. प्रमुख नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (2) “पूर्ण रूप से समायोजित” शब्द के बाद “जितनी जल्दी हो सके” को डाला जा सकता है और “पहले पांच वर्षों के भीतर” शब्द के लिए “पर शब्द लिख जा सकता है”

9. प्रमुख नियमों में, नियम 12 में, उप-नियम (1) में “सफल” शब्द के लिए “प्राथमिकता” का इस्तेमाल किया जा सकता है और “अनुमानित संशोधनों के दोबारा निश्चित किए गए मूल्य” शब्दों के बाद “किसी भी नए खोजे गए खनिज का मूल्य जिसे खोजने पर खनन पट्टा विलेख में शामिल किया जा सकता है” को शामिल किया जाए।

10. प्रमुख नियमों में, नियम 18 में, उप-नियम (6) में, खंड (क) में “रद्द किया जा सकता है”, शब्द के बाद “संयुक्त लाइसेंस धारक द्वारा प्रदान कार्य सुरक्षा को लौटाया जा सकता है” शब्द शामिल किया जा सकता है।

11. प्रमुख नियमों में, नियम 19 में, उप-नियम (2) में “अनुमानित संसाधनों के मूल्य” शब्द के बाद “खनिज पदार्थ (खनिज पदार्थ अंशों के प्रमाण) नियमों, 2015 की पुष्टि करने वाले खनिज पदार्थ अंशों का पता लगाने के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 11 के उप-अनुच्छेद (9) के अनुसार अपेक्षित संचालन पूरा होने के बाद संयुक्त लाइसेंस धारकों द्वारा स्थापित” शब्द शामिल किया जा सकता है।

12. प्रमुख नियमों में, अनुसूची I के लिए निम्नलिखित अनुसूची का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अनुसूची I

योग्यता के नियम और शर्तें

1. खनन पट्टे की नीलामी के लिए निम्नलिखित निवल सम्पत्ति आवश्यकताएं लागू होंगी, लेकिन यह अनुमानित संसाधनों के मूल्य पर निर्भर करता है:-

(क) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य 500 करोड़ रुपये से अधिक है, तो व्यक्ति सहित आवेदनकर्ता के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का 2 प्रतिशत से अधिक निवल सम्पत्ति होनी चाहिए।

(ख) यदि अनुमानित संसाधनों का मूल्य 500 करोड़ से कम अथवा उसके बराबर है, तो व्यक्ति सहित आवेदनकर्ता के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक निवल सम्पत्ति होनी चाहिए।

2. संयुक्त लाइसेंस की नीलामी के मामले में, आवेदनकर्ता के पास अनुमानित संसाधनों के मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक निवल सम्पत्ति होना आवश्यक है।

व्याख्या :

1. यदि आवेदनकर्ता भारत में शामिल किसी अन्य कम्पनी की सहायक है, ऐसी स्वामित्व वाली कम्पनी की निवल आय पर भी विचार किया जा सकता है:

बशर्ते ऐसे मामले में आवेदनकर्ता स्वामित्व वाली ऐसी कम्पनी तब तक सहायक हो जब तक आवेदनकर्ता निवल कम्पनी की बताई गई सीमा को पूरा नहीं करता।

2. यदि किसी कम्पनी की निवल आय टेंडर आवंटित करने का अनुदेश जारी होने की तारीख से पहले समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा तुलन पत्र के अनुसार प्रदत्त पूंजी और स्वतंत्र भंडारों का योग हो।

3. यदि टेंडर आमंत्रित करने का नोटिस 01 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच जारी किया गया हो, पिछले वित्तीय वर्ष से पहले वित्तीय वर्ष के लेखा तुलन पत्र, टेंडर आमंत्रित करने के नोटिस जारी होने की तारीख से बोलीकर्ता द्वारा जमा किए जा सकते हैं।

4. व्यक्तिगत मामले में, निवल आय आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख पर रोकड़ बाकी होनी चाहिए, और इस राशि में अनुसूचित बैंक/डाक घर में बचत खातों में राशि, अनुसूचित बैंकों में मुक्त और भारमुक्त मियादी जमा, डाक घर, सूचीबद्ध कम्पनियों/सरकारी संगठनों/राज्य और केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, किसान निकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बॉन्ड, सूचीबद्ध कम्पनियों के शेयर, सूचीबद्ध म्यूचुअल फंड, यूनिट लिन्कड बीमा योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, आवेदनकर्ता के नाम पर जीवन बीमा नीतियों का अभ्यर्पण मूल्य की राशि को शामिल किया जा सकता है।

13. प्रमुख नियमों में, अनुसूची III के लिए निम्नलिखित अनुसूची का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अनुसूची III

[बैंक की उद्घरण संख्या]

[तारीख]

सेवा में,

राज्यपाल [राज्य का नाम]

[पता]

जबकि

कम्पनी कानून, [1956/2013] के अंतर्गत कॉर्पोरेट पहचान संख्या [वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता का सीआईएन] में शामिल [वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता का नाम], जिसका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत कार्यालय का पता], भारत और व्यावसायिक प्रमुख स्थान [व्यवसाय के प्रमुख स्थल का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से अलग है] अथवा [व्यक्ति का नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर की स्थायी खाता संख्या [संख्या] निवास स्थान [पता] अथवा [साझेदार कम्पनी/व्यक्तियों की एसोसिएशन], सभी सदस्य जो भारत के नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान [व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता] ("वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता") के लिए जरूरी है कि उसने निष्पादन सुरक्षा के रूप में भारतीय रुपये [अंकों में] के बराबर राशि की बिना शर्त और अचल बैंक गारंटी प्रदान की हो, जो [निष्पादन बैंक गारंटी समाप्त होने की तारीख] तक वैध है।

ख. नीलामी [नीलामी का विवरण] और राज्य और वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता ("समझौता" सामूहिक तौर पर) के बीच हुए खान विकास खान विकास और उत्पादन समझौते के संबंध में टेंडर दस्तावेज तारीख के अंतर्गत कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए निष्पादन त्रणपत्र राज्यपाल [राज्य का नाम], (राज्य) को प्रदान करने आवश्यक हैं।

ग. हम [बैंक का नाम] ("बैंक") वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के अनुरोध पर वचन देते हैं कि राज्य को भारतीय रुपये में [संख्या] से अधिक राशि का भुगतान नहीं करेंगे (गारंटी राशि) ताकि समझौते के अंतर्गत इसमें शामिल नियमों और शर्तों पर वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता की शर्तों को पूरा किया जा सके।

अब बैंक राज्य के पक्ष में गारंटी राशि में वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता की ओर से गारंटी राशि में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त भुगतान बैंक गारंटी जारी करता है।

बैंक इस उद्देश्य के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से शपथ लेता है कि राज्य की पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर राज्य को बिना किसी अवरोध/रूकावट, प्रतिवाद, विरोध अथवा अवलम्ब के बिना, तत्काल, राशि (एक या अधिक दावों के रूप में) का भुगतान करेगा। इसके लिए राज्य को किसी भी मामले पर इसमें निर्दिष्ट राशि और राज्य और वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के बीच किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद ऐसी राशि की मांग के लिए कोई कारण अथवा बैंक का आधार साबित करने अथवा दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बैंक राज्य को वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता द्वारा किसी मुकदमे अथवा किसी अदालत अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मुकदमा अथवा मुकदमों की कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों के बावजूद मांग की गई धनराशि का भुगतान करने का वचन देगा। इसके अतिरिक्त बैंक की देनदारी इस दस्तावेज के अंतर्गत पूर्णतया और स्पष्ट होगी।

2. बैंक सूचना भेजेगा कि समझौते के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता द्वारा देय राशि के सम्बन्ध में राज्य को बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि की राज्य द्वारा मांग अंतिम, अनिवार्य और निर्णायक होगी।

3. इस प्रकार से बैंक राज्य के लिए वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता से उपर्युक्त राशि अथवा किसी भी हिस्से की मांग की अनिवार्यता को छोड़ देगा और साथ ही ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ देगा जिसमें बैंक राज्य से सबसे पहले यह मांग कर सकता है कि वह इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए बैंक से लिखित मांग करने से पहले वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के खिलाफ कानूनी उपायों को जारी रखे।

4. बैंक बिना शर्त राज्य से इस बात पर सहमत हो जाएगा कि बैंक की अनुमति के बिना और समय-समय पर इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की किसी भी प्रकार की शर्त में राज्य के पास स्वत्व अधिकार होगा :

(i) परिवर्तन और/अथवा सुधार किया जाए और समझौते के नियम और शर्तों (ii) समझौते के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के दायित्व के निष्पादन के लिए समय बढ़ाया जाए और/अथवा टाला जाए, अथवा

(iii) समझौते के नियम और शर्तों के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के खिलाफ राज्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारों के अनुमति देने अथवा उन्हें लागू करने के लिए

और बैंक को राज्य के किसी कार्य अथवा चूक की वजह से अथवा राज्य द्वारा वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता की तुष्टि के लिए अथवा अन्य चीजें जो कुछ भी हों जो कानून के अंतर्गत जमानतदार से जुड़ी हैं, उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाए, लेकिन इस प्रावधान का, गारंटी के अंतर्गत बैंक को उसके दायित्वों से मुक्त करने पर असर पड़ेगा।

5. किसी भी प्रकार का समायोजित भुगतान बिना किसी कटौती के, अथवा किसी भी वर्तमान अथवा भविष्य के करों, लेवी, चुंगियों, ड्यूटी, शुल्कों, फीस, कमीशन, कटौतियों अथवा करों को काटने के वास्ते स्पष्ट और मुक्त किया जाए।

6. बैंक इस बात के लिए सहमत है कि राज्य को अपने विकल्प के तौर पर यह अधिकार है कि वह वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के खिलाफ प्रथम अवस्था में आगे बढ़े बिना प्रमुख देनदार के रूप में बैंक के खिलाफ इस गारंटी को लागू करे।

7. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि इसके साथ-साथ समझौते में दी गई अवधि के दौरान गारंटी भी पूरी तरह दृढ़ता से लागू होनी चाहिए और यह तब तक लागू रहनी चाहिए जब तक इस समझौते के अंतर्गत अथवा उसके प्रभाव के कारण वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के सभी ऋण निष्पादन प्रतिभूति का पूरी तरह भुगतान नहीं किया जाता और इसका दावा संतोषजनक अथवा खारिज नहीं होता अथवा जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के सम्बन्ध में समझौते के नियम और शर्तों को पूर्ण रूप

से और उचित तरीके से आगे बढ़ाया गया है और फलस्वरूप इस गारंटी का पालन करता है। इसके बावजूद इसमें निहित कुछ भी, जब तक इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग अथवा दावा लिखित में नियत तिथि पर अथवा उससे पहले बैंक में नहीं किया जाता बैंक उसके बाद इस गारंटी के अंतर्गत सभी देनदारियों की अदायगी करेगा।

8. इस गारंटी के अंतर्गत इस आधार पर बैंक द्वारा अदा की गई रकम भुगतान के लिए बैंक की देनदारी वैध अदायगी होगी और राज्य के पास इस तरह की अदायगी करने के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

9. यह गारंटी भारत के कानूनों का विषय है। इस गारंटी अथवा विषय से उत्पन्न कोई भी मुकदमा, कार्रवाई, अथवा कोई अन्य कानूनी कार्रवाई राज्य [सम्बद्ध राज्य] की अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है

10. बैंक को यह अधिकार है कि वह इस गारंटी को राज्य के पक्ष में जारी करे। यह गारंटी बैंक के गठन में बदलाव के कारण खारिज नहीं होगी।

11. बैंक वचन देता है कि वह लिखित में राज्य की पिछली अनुमति को छोड़कर अपनी वैधता अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करेगा।

12. राज्य, बैंक की पूर्व सूचना के साथ, इस गारंटी के अंतर्गत किसी अन्य विभाग, मंत्रालय अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी को अधिकार दे सकता है, जो राज्यपाल के नाम पर कार्य कर सकता है। इस खंड में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह गारंटी निर्दिष्ट अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसके बावजूद इसमें जो कुछ भी शामिल है,

क. इस बैंक गारंटी के अंतर्गत बैंक की देनदारी गारंटी की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. यह बैंक गारंटी नियत तिथि तक वैध होगी।

14. बैंक गारंटी की राशि अथवा बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी हिस्से का भुगतान करेगा और यदि राज्य केवल बैंक को नियत तिथि पर अथवा उससे पहले एक लिखित दावा देता है।

तारीख [दिन] का दिन [महीने] [वर्ष] बैंक के लिए

बैंक अधिकृत अधिकारी के जरिये, साक्ष्य के समक्ष, हस्ताक्षर और मुहर लगाएगा।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पद)

(बैंक की मुहर)।

14. प्रमुख नियमों में, अनुसूची III के बाद, निम्नलिखित अनुसूची को शामिल किया जाए:-

अनुसूची IV

संयोजित लाइसेंस के लिए निष्पादन ऋणपत्र का प्रारूप

[दिखें नियम 18(1)]

[बैंक की निर्देश संख्या]

[तारीख]

सेवा में

राज्यपाल [राज्य का नाम]

[पता]

जबकि

क. कम्पनी कानून, [1956/2013] के अंतर्गत कॉरपोरेट पहचान संख्या [वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के सीआईएन] में शामिल [वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता का नाम], जिसका पंजीकृत कार्यालय [पंजीकृत कार्यालय का पता], भारत और व्यावसायिक प्रमुख स्थान [व्यवसाय के प्रमुख स्थल का पता, यदि पंजीकृत कार्यालय से अलग है] अथवा [व्यक्ति का नाम] जो भारत का नागरिक है, जिसके पास आयकर की स्थायी खाता संख्या [संख्या] निवास स्थान [पता] अथवा [साझेदार कम्पनी/व्यक्तियों की एसोसिएशन], सभी सदस्य जो भारत के नागरिक हैं और भारत के निवासी हैं, जिनका व्यवसाय का प्रमुख स्थान [व्यवसाय के प्रमुख स्थान का पता] ("वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता") के लिए जरूरी है कि उसने निष्पादन सुरक्षा के रूप में भारतीय रुपये [अंकों में] के बराबर राशि की निष्पादन ऋणपत्र के रूप में बिना शर्त और अचल बैंक गारंटी प्रदान की हो, जो [बैंक गारंटी समाप्त होने की तारीख] से [●]([●]) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध है।

ख. निष्पादन ऋणपत्र, टेंडर दस्तावेज की तारीख, [तारीख] के अंतर्गत नीलामी [नीलामी के विवरण] और [संयोजित लाइसेंस देने के लिए वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता को राज्य द्वारा दिए जाने वाले आशय पत्र, राज्य और सफल बोलीकर्ता के बीच भविष्य में निष्पादित होने वाले लाइसेंस के दस्तावेज और खनन पट्टा देने के लिए राज्य द्वारा सफल बोलीकर्ता को जारी किये गए आशय पत्र, राज्य और सफल बोलीकर्ता के बीच होने वाले खान विकास और उत्पादन समझौते तथा सफल बोलीकर्ता और राज्य के बीच होने वाले खनन पट्टा विलेख] ("समझौता" टेंडर दस्तावेज के साथ सामूहिक तौर पर)।

ग. हम [बैंक का नाम] ("बैंक") वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता के अनुरोध पर वचन देते हैं कि राज्य को भारतीय रुपये में [संख्या] से अधिक राशि का भुगतान नहीं करेंगे ("गारंटी राशि") ताकि समझौते के अंतर्गत इसमें शामिल नियम और शर्तों पर वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता की शर्तों को पूरा किया जा सके।

अब बैंक राज्य के पक्ष में गारंटी राशि में वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता की ओर से गारंटी राशि में अपरिवर्तनीय और बिना शर्त भुगतान बैंक गारंटी जारी करता है:

1. बैंक इस उद्देश्य के लिए बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से शपथ लेता है कि राज्य की पहली लिखित मांग प्राप्त होने पर राज्य को बिना किसी अवरोध/रूकावट, प्रतिवाद, विरोध अथवा अवलम्ब के बिना, तत्काल, राशि (एक या अधिक दावों के रूप में) का भुगतान करेगा। इसके लिए राज्य को किसी भी मामले पर इसमें निर्दिष्ट राशि और राज्य और वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के बीच किसी विवाद अथवा मतभेद के बावजूद ऐसी राशि की मांग के लिए कोई कारण अथवा बैंक का आधार साबित करने अथवा दिखाने की जरूरत नहीं होगी। बैंक राज्य को वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता द्वारा किसी मुकदमे अथवा किसी अदालत अथवा न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित मुकदमा अथवा मुकदमों की कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों के बावजूद मांग की गई धनराशि का भुगतान करने का वचन देगा। इसके अतिरिक्त बैंक की देनदारी इस दस्तावेज के अंतर्गत पूर्णतया और स्पष्ट होगी।

2. बैंक सूचना भेजेगा कि समझौते के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता द्वारा देय राशि के सम्बन्ध में राज्य को बैंक द्वारा भुगतान की गई राशि की राज्य द्वारा मांग अंतिम, अनिवार्य और निर्णायक होगी।

3. इस प्रकार से बैंक राज्य के लिए वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता से उपर्युक्त राशि अथवा किसी भी हिस्से की मांग की अनिवार्यता को छोड़ देगा और साथ ही ऐसे किसी भी अधिकार को छोड़ देगा जिसमें बैंक राज्य से सबसे पहले यह मांग कर सकता है कि वह इस गारंटी के अंतर्गत भुगतान के लिए बैंक से लिखित मांग करने से पहले वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता के खिलाफ कानूनी उपायों को जारी रखे।

4. बैंक बिना शर्त राज्य से इस बात पर सहमत हो जाएगा कि बैंक की अनुमति के बिना और समय-समय पर इस गारंटी के अंतर्गत बैंक की किसी भी प्रकार की शर्त में राज्य के पास स्वत्व अधिकार होगा :

(i) परिवर्तन और/अथवा सुधार किया जाए और समझौते के नियम और शर्तों (ii) समझौते के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता के दायित्व के निष्पादन के लिए समय बढ़ाया जाए और/अथवा टाला जाए, अथवा

(iii) समझौते के नियम और शर्तों के अंतर्गत वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता के खिलाफ राज्य द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अधिकारों के अनुमति देने अथवा उन्हें लागू करने के लिए

और बैंक को राज्य के किसी कार्य अथवा चूक की वजह से अथवा राज्य द्वारा वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता की तुष्टि के लिए अथवा अन्य चीजें जो कुछ भी हों जो कानून के अंतर्गत जमानतदार से जुड़ी हैं, उसके दायित्व से मुक्त नहीं किया जाए, लेकिन इस प्रावधान का, गारंटी के अंतर्गत बैंक को उसके दायित्वों से मुक्त करने पर असर पड़ेगा।

5. किसी भी प्रकार का समायोजित भुगतान बिना किसी कटौती के, अथवा किसी भी वर्तमान अथवा भविष्य के करों, लेवी, चुंगियों, ड्यूटी, शुल्कों, फीस, कमीशन, कटौतियों अथवा करों को काटने के वास्ते स्पष्ट और मुक्त किया जाए।

6. बैंक इस बात के लिए सहमत है कि राज्य को अपने विकल्प के तौर पर यह अधिकार है कि वह वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता के खिलाफ प्रथम अवस्था में आगे बढ़े बिना प्रमुख देनदार के रूप में बैंक के खिलाफ इस गारंटी को लागू करे।

7. बैंक इस बात के लिए भी सहमत है कि इसके साथ-साथ बैंक गारंटी और गारंटी की शर्तें पूरी तरह दृढ़ता से लागू होनी चाहिए और यह तब तक लागू रहनी चाहिए जब तक (i) इस समझौते के अंतर्गत अथवा उसके प्रभाव के कारण वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता के सभी ऋण निष्पादन प्रतिभूति का पूरी तरह भुगतान नहीं किया जाता और इसका दावा संतोषजनक अथवा खारिज नहीं होता; अथवा (ii) जब तक राज्य यह प्रमाणित नहीं करता कि वरीयता प्राप्त बोलीकर्ता अथवा सफल बोलीकर्ता द्वारा निष्पादन प्रतिभूति के सम्बन्ध में समझौते के नियम और शर्तों को पूर्ण रूप से और उचित तरीके से आगे बढ़ाया गया है और फलस्वरूप इस गारंटी का पालन करता है; [अथवा (iii) खनिज पदार्थ (नीलामी) नियम, 2015] जो भी बाद में हो, के नियम 19(2) के अंतर्गत संशोधित निष्पादित प्रतिभूति के प्रावधान। इसके बावजूद इसमें निहित कुछ भी, जब तक इस गारंटी के अंतर्गत कोई मांग अथवा दावा लिखित में नियत तिथि पर अथवा उससे पहले बैंक में नहीं किया जाता बैंक उसके बाद इस गारंटी के अंतर्गत सभी देनदारियों की अदायगी करेगा।

8. इस गारंटी के अंतर्गत इस आधार पर बैंक द्वारा अदा की गई रकम भुगतान के लिए बैंक की देनदारी वैध अदायगी होगी और राज्य के पास इस तरह की अदायगी करने के लिए बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

9. यह गारंटी भारत के कानूनों का विषय है। इस गारंटी अथवा विषय से उत्पन्न कोई भी मुकदमा, कार्रवाई, अथवा कोई अन्य कानूनी कार्रवाई राज्य [सम्बद्ध राज्य] की अदालत के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है।

10. बैंक को यह अधिकार है कि वह इस गारंटी को राज्य के पक्ष में जारी करे। यह गारंटी बैंक के गठन में बदलाव के कारण खारिज नहीं होगी।

11. बैंक वचन देता है कि वह लिखित में राज्य की पिछली अनुमति को छोड़कर अपनी वैधता अवधि के दौरान इस गारंटी को रद्द नहीं करेगा।

12. राज्य, बैंक को पूर्व सूचना के साथ, इस गारंटी के अंतर्गत किसी अन्य विभाग, मंत्रालय अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी को अधिकार दे सकता है, जो राज्यपाल के नाम पर कार्य कर सकता है। इस खंड में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यह गारंटी निर्दिष्ट अथवा हस्तांतरणीय नहीं होगी।

13. इसके बावजूद इसमें जो कुछ भी शामिल है,

क. इस बैंक गारंटी के अंतर्गत बैंक की देनदारी गारंटी की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख. यह बैंक गारंटी नियत तिथि तक वैध होगी।

14. बैंक को गारंटी की राशि अथवा इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी भी हिस्से का भुगतान करना होगा और यदि राज्य केवल बैंक को नियत तिथि पर अथवा उससे पहले एक लिखित दावा देता है।

बैंक के लिए तारीख [दिन] का दिन [महीने] [वर्ष]

बैंक अधिकृत अधिकारी के जरिये, साक्ष्य के समक्ष, हस्ताक्षर और मुहर लगाएगा।

(हस्ताक्षर)

(नाम और पद)

(बैंक की मुहर)।

14. प्रमुख नियमों में, अनुसूची III के बाद, निम्नलिखित अनुसूची को शामिल किया जाए:-

(हस्ताक्षर)

(नाम और पद)

(बैंक की मुहर)।

[एफ. संख्या 1/1/2017-एम.IV]

(विपुल पाठक)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

नोट:- खनिज पदार्थ (नीलामी) नियम, 2015 भारत के राजपत्र, विशेष, अनुच्छेद 3, उप-अनुच्छेद 3, उप अनुच्छेद (i) देखें अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 406 (ई), दिनांक 20 मई 2015.

खनिज पदार्थ (नीलामी) नियम, 2015 के संशोधित प्रावधान विवरणात्मक टिप्पणियों के साथ देखने के लिए यहां क्लिक करें (अनुलग्नक) .

वीके/केपी/एसकेपी - 3608

(Release ID: 1501795) Visitor Counter : 15

